प्रेषक:-

प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक, आर्यभद्रट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना ।

मुज0 दिनांक:-25-8-18

विषय-नये विषयो में स्नातकोत्तर कोर्स प्रारम्भ करने हेतु CONSENT OF AFFILIATION निर्गत करने के संबंध में । महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पी0जी0 सीटो में से नये विषयों में रनातकोत्तर कोर्स प्रारम्भ करने हेतु एम0सी0आई0, नई दिल्ली को संबंधित सभी अभिलेखो/कागजातो के साथ संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत CONSENT OF AFFILIATION वॉछनीय है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के मद्वेनजर CONSENT OF AFFILIATION निर्गत करने का कष्ट किया जाए, ताकि नये विषयो में रनातकोत्तर कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके ।

अनु0- CONSENT OF AFFILIATION Format

1

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

मुजफ्फरपुर

प्रेषक:-

प्राचार्य. श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।

सेवा में

परीक्षा नियंत्रक. आर्यभद्रट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना ।

> मुज0 दिनाक:-

विषय-नये विषयो में स्नातकोत्तर कोर्स प्रारम्भ करने हेतु CONSENT OF AFFILIATION निर्गत करने के संबंध में । महाशय.

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पी०जी० सीटो में से नये विषयों में स्नातकोत्तर कोर्स प्रारम्भ करने हेतु एम0सी0आई0, नई दिल्ली को संबंधित सभी अभिलेखो / कागजातो के साथ संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत CONSENT OF AFFILIATION वॉछनीय है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के मद्वेनजर CONSENT OF AFFILIATION निर्गत करने का कष्ट किया जाए, ताकि नये विषयो में स्नातकोत्तर कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके ।

अनु0- CONSENT OF AFFILIATION Format

विश्वासभाजन

₹0/-प्राचार्य श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर

प्रतिलिपि:-

- 1) कुल सचिव, आर्यभद्रट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित ।
- 2) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3) सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4) आई०टी० सेक्शन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फूरपुर को निभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

> श्री कृष्ण्र, चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर

(B) CONSENT OF AFFILIATION FORM – 3

No	
CONSENT OF AFFILIATION	
On the basis of the report of the Local Inquiry Committee Inspection, the University has agreed in principle, to affiliate the proposed course of to opened at with seats by the (Name of the college) subject to grant permission by the Govt. of India, Ministry of Health and Family Welfare, New De under/Section 10(A) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) for the cacademic session	b 0
This consent of affiliation would be applicable for years/months from tate of issuing of COA.	he
Note:- 1. NOC issued by university will also not be accepted by Council. 2. COA which provisional/temporary or conditional in nature will not permitted/accepted by Council.	oe.

Foot Note: The Principal Regulations namely, "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October, 2000 vide Medical Council of India Notification No. 34(41)/2000/Med., dated the 14th August, 2000 and amended vide Medical Council of India Notifications dated 22nd March, 2005, 29th July, 2008, 23rd September, 2009, 9th December, 2009 & 11th January, 2010.

Public Notice for Postgraduate courses

The Board of Governors of the MCI hereby announces that the application u/s 10A for the academic year 2014-15 should be submitted complete in all respects and to reach the Council as per time schedule mentioned in the Regulations i.e. 31.05.2013 for board Specialties & 15.09.2013 for super specialties. The applicants must read qualifying criteria carefully and subm` it all documents complete in all respects.

In case of Consent of Affiliation, the applicant should furnish Consent of Affiliation strictly as per format which is prescribed by the Medical Council of India with mention of number of seats and the academic year for which Consent of Affiliation is valid. No modification in the language or format will be acceptable.

The applicant must ensure that the Consent of Affiliation is valid for the academic session for which application is submitted.